

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :-

77 / 2018

1. नन्द बिहारी आयु 30 साल आ० सोहन जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०

-वादी

बनाम

1. गोपाल आ० माधो जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०
2. हरबक्ष आ० माधो जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०
3. कस्तुरा आ० बजरंगा जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०
4. राजेन्द्र आ० बजरंगा जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०
5. रामकिशन आ० बजरंगा जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०
6. मन्जू पुत्री सोहन जाति मीणा निवासी करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज.
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार के० पाटन।


-प्रतिवादीगण

वाद-घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92ए,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :-

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री राधेश्याम बजाज



उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

प्रतिवादी सं० 6 की ओर से श्री हजारीलाल।

—: आदेश :—

दिनांक—30.09.2019

1. वादी की ओर से उक्त वादपत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दि. 31.05.2018 को पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. नया 38 व पुराना 33 के खसरा संख्या 160/738 रकबा 1.53 है०, ख.सं. 319 रकबा 0.61 है०, ख.सं. 320 रकबा 0.68 है०, ख.सं. 331 रकबा 0.03 है०, ख.सं. 439 रकबा 0.92 है०, ख.सं. 495 रकबा 1.15 है०, ख.सं. 496 रकबा 0.52 है०, ख.सं. 497 रकबा 0.19 है०, ख.सं. 498 रकबा 0.33 है० कुल किता 9 कुल रकबा 5.96 है० वाके ग्राम व माल करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी में विस्थित है। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. नया 193 व पुराना 163 के ख.सं. 625 रकबा 0.17 है०, ख.सं. 626 रकबा 1.01 है०, ख.सं. 627 रकबा 1.15 है०, ख.सं. 628 रकबा 0.58 है०, ख.सं. 629 रकबा 0.27 है०, ख.सं. 630 रकबा 0.75 है०, ख.सं. 631 रकबा 0.37 है०, ख.सं. 632 रकबा 0.36 है० कुल किता 8 कुल रकबा 4.66 है० वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। वादी के पिता सोहन का देहांत दिनांक 28.04.2012 को हो चुका है। सोहन के एक पुत्र वादी व एक पुत्री मंजू प्रतिवादी सं. 6 है। वादी द्वारा तहसीलदार के० पाटन को मृतक सोहन का फोती इंतकाल स्वयं के नाम खोलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन तहसीलदार के० पाटन द्वारा अभी तक मृतक सोहन का फोती इंतकाल वादी के नाम नहीं खोला है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र के चरण सं. 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि पर मृतक सोहन के स्थान पर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे।
3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 6 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वादपत्र डिकी



सुखजंद अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 व 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वकील वादी ने साक्ष्य में स्वयं वादी नन्दबिहारी का शपथ-पत्र पेश किया।
5. बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार किया जाने में अनापत्ति की है एवं वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है अतः स्वीकृति के आधार पर निर्णय किये जाने संबंधी विधि का अवलोकन करे तो आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का अवलोकन किया गया। जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वीकृति के आधार पर अतिरिक्त साक्ष्य लिये बगैर वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जा सकता है। उपरोक्त इकबालिया जवाब तथा कानून के प्रकाश में वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 38 व पुराना 33 के खसरा संख्या 160/738 रकबा 1.53 है०, ख.सं. 319 रकबा 0.61 है०, ख.सं. 320 रकबा 0.68 है०, ख.सं. 331 रकबा 0.03 है०, ख.सं. 439 रकबा 0.92 है०, ख.सं. 495 रकबा 1.15 है०, ख.सं. 496 रकबा 0.52 है०, ख.सं. 497 रकबा 0.19 है०, ख.सं. 498 रकबा 0.33 है० कुल किता 9 कुल रकबा 5.96 है० वाके ग्राम व माल करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी एवं खाता सं. नया 193 व पुराना 163 के ख. सं. 625 रकबा 0.17 है०, ख.सं. 626 रकबा 1.01 है०, ख.सं. 627 रकबा 1.15 है०, ख.सं. 628 रकबा 0.58 है०, ख.सं. 629 रकबा 0.27 है०, ख.सं. 630 रकबा 0.75 है०, ख.सं. 631 रकबा 0.37 है०, ख.सं. 632 रकबा 0.36 है० कुल किता 8 कुल रकबा 4.66 है० वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज. में मृतक


उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

सोहन के स्थान पर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



30/9/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास-
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

नन्दबिहारी

V/S

गोपाल वगै०

वाद-घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर :: 77/2018

वादी की ओर से श्री राधेश्याम बजाज, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 6 की ओर से श्री हजारीलाल, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 30.09.19 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिकी किया जाता है कि-


"वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 38 व पुराना 33 के खसरा संख्या 160/738 रकबा 1.53 है०, ख.सं. 319 रकबा 0.61 है०, ख.सं. 320 रकबा 0.68 है०, ख.सं. 331 रकबा 0.03 है०, ख.सं. 439 रकबा 0.92 है०, ख.सं. 495 रकबा 1.15 है०, ख.सं. 496 रकबा 0.52 है०, ख.सं. 497 रकबा 0.19 है०, ख.सं. 498 रकबा 0.33 है० कुल किता 9 कुल रकबा 5.96 है० वाके ग्राम व माल करवाला की झौपडिया तहसील के० पाटन जिला बून्दी एवं खाता सं. नया 193 व पुराना 163 के ख.सं. 625 रकबा 0.17 है०, ख.सं. 626 रकबा 1.01 है०, ख.सं. 627 रकबा 1.15 है०, ख.सं. 628 रकबा 0.58 है०, ख.सं. 629 रकबा 0.27 है०, ख.सं. 630 रकबा 0.75 है०, ख.सं. 631 रकबा 0.37 है०, ख.सं. 632 रकबा 0.36 है० कुल किता 8 कुल रकबा 4.66 है० वाके ग्राम व माल कोडक्या बालाजी तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज. में मृतक सोहन के स्थान पर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीजग..... मुबलिकग..... बाबतग.....
... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरहग..... फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख वसूल वादी तकग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.09.2019 को जारी की गई।

मोहर




(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन